उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-770 /VI(1)/2020-117(पर्य)/2001
देहरादूनः दिनांक 05 मई,2020

पर्यटन निदेशालय
गढ़ी कैंट, देहरादून
प्राप्ति संख्या.....
दिनांक.....

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम,2001 (अधिनियम संख्या-12 वर्ष,2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली,2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से, निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

"वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (संशोधन) नियमावली,2020"

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (संशोधन) नियमावली,2020" है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली,2002 (समय-समय पर यथासंशोधित), जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नियम 4 के पश्चात निम्नवत परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थातः-

परन्तु कोई व्यक्ति, जो इस नियमावली में विहित किसी प्रयोजन हेतु वाहन मद अथवा गैर-वाहन मद के अन्तर्गत पूंजीगत राजकीय सहायता एक बार प्राप्त कर चुका हो, पुनः उसी मद के लिए के लिए पूंजीगत राजकीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।

नियम 7 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नियम 7 के प्रस्तर-2 के पश्चात निम्नवत परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थातः-

परन्तु यह कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के मार्गों पर संचालन हेतु एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50 बसों/इलैक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 50 प्रतिशत, किन्तु अधिकतम ₹ 15.00 लाख की राजकीय सहायता देय होगी। राजकीय सहायता प्राप्ति हेतु बसों/इलैक्ट्रिक बसों के प्रकार व संचालन सम्बन्धी निम्न मानकों/शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा:-

(1) बस का प्रकार: (क) साधारण बस/पुश बैक–30 सीटर एवं 42 सीटर – 2X2.

(ख) वातानुकुलित बस/पुश बैक–26-28 सीटर एवं 42 सीटर– 2X2.

(2) संचालन: बस को उत्तराखण्ड परिवहन निगम के निर्धारित रूट्स अथवा अन्तर नगरीय रूट्स/स्थानों हेतु हीं संचालित किया जायेगा परन्तु यह अनिवार्य होगा कि जिन नगरों/स्थानों के मध्य बस का संचालन किया जा रहा हो उनमें से एक टर्मिनल (अर्थात यात्रा प्रारम्भ करने अथवा गन्तव्य स्टेशन) उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत अवस्थित हो।

(3) प्रचार: बसों की बॉडी के दोनों ओर उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन का प्रचार-प्रसार करने वाली सामग्री को लगाना अथवा अंकित करना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर
सचिव

संख्या-770 (1)/ VI(1)/2020,तद्दिनांकित।

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(3) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
(4) आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
(6) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(8) स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
(9) समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
(10) निदेशक, राजकीय प्रेस, उत्तराखण्ड, रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करायें तथा गजट की 500 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
(11) गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव